(2020) 5 SCR 383

जिनोफर कवासजी भुजवाला बनाम गुजरात राज्य

(क्रिमिनल अपील सं०- 460/2020) जून 19, 2020

(अशोक भूषन, एम. आर. शाह एण्ड वी. रामासुब्रहमणयन. जे.)

जमानत- एक कंपनी 'एएनएल' को बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर के आधार पर खंभात की खाड़ी में वेसल्स ट्रैफिक एंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (वीआईटीपीएमएस) के निर्माण और विकास के लिए आशय पत्र जारी किया गया था। इसके बाद गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, एएनएल और गुजरात सरकार के बीच एक रियायत समझौता किया गया। एएनएल द्वारा की गई पूंजीगत लागत को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने दावा किया कि एएनएल ने 134.38 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित की। एएनएल ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत वाणिज्यिक न्यायालय का रुख किया क्योंकि रियायत समझौते के समाप्त होने का खतरा था और उसके बाद मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने एक शिकायत दर्ज की और उक्त शिकायत के आधार धारा- 406, 409, 420, 465, 468, 471 और 120 बी आईपीसी और धारा 13(1) (डी) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में ए-1, ए-2 और ए-3 समेत 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ए-1 (अपीलकर्ता) और ए- 2 उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, तब से अपीलकर्ता न्यायिक अभिरक्षा में है। उनकी जमानत याचिका कई बार खारिज कर दी गई थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी, यदि छह महीने की अवधि के भीतर मुकदमा शुरू नहीं हो सका। संयोग से, छह महीने की यह अवधि समाप्त हो गई है और मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण पारित अंतरिम उपायों और मैरीटाइम बोर्ड के वित्तीय हितों की रक्षा की गई - उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ता ने जमानत मांगी - इसके विपरीत, प्रतिवादी-राज्य ने तर्क दिया कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, जिसे अपीलकर्ता की गतिविधियों से खतरा है - माना गया: राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरे को दो कारणों से बरकरार नहीं रखा जा सकता है, पहला कारण यह है कि परियोजना अगस्त 2010 में चालू हो गई और विवाद

पार्टियों के बीच 2018 में शुरू हुआ, वह भी वित्तीय मामलों के संबंध में। दूसरा कारण, मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए सुरक्षा के अंतरिम उपायों के आधार पर अंतर्गत् धारा- 17 के अनुसार रियायत समझौते की समाप्ति पर रोक लगा दी गई है। इसलिए, जिस कंपनी का अपीलकर्ता प्रमुख है, वह वीटीपीएमएस परियोजना का संचालन जारी रखती है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने राज्य पुलिस को भी परियोजना में रहने की अनुमति दी है और मैरीटाइम बोर्ड को परियोजना के कामकाज की देखरेख और निगरानी करने के लिए संबंधित परियोजना से परिचित एक सक्षम व्यक्ति को नियुक्त करने की अनुमति दी है। साथ ही छह महीने की वह अवधि जिसके भीतर उच्च न्यायालय को मुकदमा शुरू होने की उम्मीद थी, आज की तारीख में समाप्त हो गई है, इसलिए अपीलकर्ता जमानत का हकदार है जमानत पर रिहा किये जाने के लिए निर्देशित किया जाता है।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए माना

1. छह महीने की वह अवधि जिसके भीतर उच्च न्यायालय को मुकदमा शुरू होने की उम्मीद थी, आज की तारीख में समाप्त हो गई है। अपीलकर्ता, जिसकी उम्र 62 वर्ष है, पहले

ही लगभग एक वर्ष न्यायिक हिरासत में बिता चुका है। आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से नौ महीने की अवधि बीत चुकी है. हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पहले ही जारी की जा चुकी है, लेकिन तथ्य यह है कि आरोप तय नहीं किए गए हैं और मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। [पैरा 20] [389-एफ]

2. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरे के इर्द-गिर्द घूमने वाले तर्क दो कारणों से टिके नहीं रह सकते। पहला कारण यह है कि परियोजना अगस्त-2010 में चालू हुई और पार्टियों के बीच विवाद 2018 में शुरू हुआ और वह भी वित्तीय मामलों को लेकर। दूसरा कारण यह है कि मध्यस्थता और सुलह की धारा 17 के संदर्भ में मध्यस्थता न्यायाधिकरण (इस अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश और एक वरिष्ठ वकील को मिलाकर) द्वारा दी गई सुरक्षा के अंतरिम उपायों के आधार पर अधिनियम, 1996 के तहत रियायत समझौते की समाप्ति पर रोक लगा दी गई है। इसलिए, जिस कंपनी का अपीलकर्ता प्रमुख है, वह वीटीपीएमएस परियोजना का संचालन जारी रखती है। किसी भी दशा में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने न केवल राज्य के आर्थिक हितों की रक्षा की है, बल्कि राज्य पुलिस को परियोजना स्थल पर रहने की भी अनुमति दी है। ट्रिब्यूनल ने मैरीटाइम बोर्ड को जिनोफ़र कावसजी भुजवाला बनाम गुजरात राज्य
परियोजना के कामकाज की देखरेख और निगरानी करने के लिए संबंधित परियोजना से परिचित एक सक्षम व्यक्ति को नियुक्त करने की अनुमति दी है इसलिए इस विवाद को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं किया जा सकता. [पैरा 21] [389-जी-एच; 390-ए-बी]

3. हालाँकि गवाहों के साथ छेड़छाड़ के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह देखा जा सकता है कि अभियोजन मुख्य रूप से दस्तावेजों पर आधारित है। किसी भी दशा में, यदि जमानत पर रिहा हुआ व्यक्ति कुछ गतिविधियों में शामिल होता है, तो अभियोजन उपचारहीन नहीं है। [पैरा 22] [390-सी]

4. इसलिए, इस न्यायालय का यह मत है कि अपीलकर्ता जमानत का हकदार है। इसलिए, अपील की अनुमति दी जाती है और अपीलकर्ता को ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, जो सत्र न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, जिसमें पासपोर्ट के आत्मसमर्पण की शर्त भी शामिल है। , जो समय-समय पर ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अधीन होगा। [पैरा 23][390-डी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील

[460/2020।

सीआरएलएमए संख्या 19125/2019 में गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के निर्णय और आदेश दिनांक 09.12.2019 से।

तुषार मेहता, एसजी, हरीश साल्वे, सिद्धार्थ दवे, मुकुल रोहतगी, सीनियर सलाहकार, ए.आर. गुप्ता, मोहित चौधरी, आदित्य ए गुप्ता, कुणाल सचदेवा, कु. पूजा शर्मा, उमर अहमद, जसपाल सिंह, बलविंदर सिंह सूरी, अनूप कुमार मिश्रा, मैसर्स. किंग्स एंड अलायंस एलएलपी, अनिरूद्ध पी मेई, गुरशरण एच. विर्क, कु. मिशा रोहतगी, नकुल मोहता, कु. शुभांगी राठौड़ उपस्थित पक्षों के लिए सलाहकार

न्यायालय का आदेश पारित किया गया द्वारा

वी. रामसुब्रमणियन जे.
1. स्वीकृति दी गयी।

2. अहमदाबाद में गुजरात के उच्च न्यायालय द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज होने से दुखी होकर, एक व्यक्ति जिसे अपराध संख्या I-I/5/2019 दिनांक 26.06.2019 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित तौर पर ए-1 के रूप में धारा 406, 409, 420, 465, 468, 471 और 120 बी के तहत अपराध उद्धृत किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 5 एस.सी.सी.आर.।

भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी). 1988, उपरोक्त अपील के साथ आई है।

3. हमने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे और श्री सिद्धार्थ दवे को सुना। गुजरात राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता और गुजरात मैरीटाइम की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी को सुना है।

4. नवंबर-2006 में जारी किए गए प्रस्ताव के निमंत्रण के अनुसरण में और इच्छुक पार्टियों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद, अताश नोरकंट्रोल लिमिटेड (संक्षेप में "एएनएल") नाम की एक कंपनी को दिनांक 26.02.2007 को बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओओटी) आधार पर खंभात की खाड़ी में वेसल्स ट्रैफिक और पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (बाद में इसे "वीटीपीएमएस" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के निर्माण और विकास के लिए आशय पत्र के साथ जारी किया गया था।। इसके बाद गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, एएनएल और गुजरात सरकार के बीच दिनांक 30.09.2007 को एक रियायत समझौता हुआ।

5. रियायत समझौते के अनुसार, अताश नॉरकंट्रोल लिमिटेड कैम्बे की खाड़ी में 7 स्थानों पर प्रमुख रडार स्टेशन और 2 स्थानों पर रिपीटर रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए बाध्य है, जिसमें मास्टर कंट्रोल डुमास में स्थापित किया जाएगा। रडार स्टेशनों की स्थापना का उद्देश्य खंभात की खाड़ी में प्रवेश करने वाले जहाजों की निगरानी करना और तटीय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

6. गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद खंभात की खाड़ी के लिए वीटीपीएमएस अगस्त, 2010 में चालू हो गया। लेकिन 2018 में एएनएल द्वारा की गई पूंजीगत लागत को लेकर विवाद खड़ा हो गया। समझौते के खंड 18 के तहत एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई और उन्होंने पूंजीगत लागत के रूप में एक विशेष राशि का संकेत देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

7. लेकिन गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने प्रधान महालेखाकार की प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि एएनएल ने वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2017-18 के दौरान 134.38 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित की और उक्त राशि का भुगतान एएनएल द्वारा किया जाना चाहिए।

8. एएनएल ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत वाणिज्यिक अदालत अहमदाबाद का रुख किया, क्योंकि रियायत समझौते के समाप्त होने का खतरा था। विवादों को मध्यस्थता के लिए भी संदर्भित किया गया था। दिनांक 01.03.2019 को गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण से पहले, जिनोफर कावसजी
भुजवाला बनाम गुजरात राज्य

वी. रामसुब्रमणियन जे.

दोनों पक्षों (एएनएल और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड) ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 17 के तहत आवेदन दायर किए।

9. हालाँकि, 01.05.2019 को, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने सीआईडी क्राइम, गांधी नगर ज़ोन में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि एएनएल (1) लागत में वृद्धि (2) कुछ कार्यों का गैर-निष्पादन (3) शेल कंपनियों का निर्माण और उनके माध्यम से काम की पूर्ति (4) उन कंपनियों के माध्यम से धन की हेराफेरी और धन गबन (5) मास्टर कंट्रोल रूम के लिए आवंटित भूमि पर निर्माण नहीं करना (6) झूठे बिल और जाली चालान जारी करना (7) प्रबंधन बोर्ड के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता और मुख्य समुद्री अधिकारी के माध्यम से पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना और (8) परियोजना के व्यय को 100 करोड़ रुपये से अधिक करने के लिए एक-दूसरे के साथ साजिश करना और आपराधिक न्यासभंग करना।

10. उपरोक्त शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 406, 409, 420, 465, 468, 471 और 120 बी और धारा 13(1) (डी) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कथित अपराध के लिए आठ नामित आरोपियों के खिलाफ दिनांक 26.6.2019 को एफ.आई.आर क्रमांक I-I/5/2019 दर्ज किया गया था। यहां अपीलकर्ता और उसके बेटे और बेटी को क्रमशः ए-1, ए-2 और ए-3 के रूप में उद्धृत किया गया है, क्योंकि वे कंपनियों के निदेशक हैं।

11. दिनांक 27.06.2019 को अपीलकर्ता और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत के आदेश के तहत पुलिस हिरासत में रहने के बाद अपीलकर्ता को दिनांक 02.07.2019 को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया, तब से अपीलकर्ता न्यायिक अभिरक्षा में है। उनकी प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सेशन कोर्ट ने दिनांक 06.07.2019 को खारिज कर दी थी. हालांकि अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन उसने आरोप पत्र दाखिल होने के बाद नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ दिनांक 06.08.2019 को आवेदन वापस ले लिया। लेकिन, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि मैरीटाइम बोर्ड के दो अधिकारी भी इसमें शामिल थे, उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई थी।

12. अपीलकर्ता और अन्य के खिलाफ विवेचक द्वारा 21.09.2019 को आरोप पत्र दायर किया गया था। हालाँकि, मैरीटाइम बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय सरकार से मंजूरी के आदेश का इंतजार किया जा रहा था।

13. आरोप पत्र दाखिल होने के मद्देनजर अपीलकर्ता ने सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका दायर की, लेकिन दिनांक 03.10.2019 को इसे खारिज कर दिया गया। इसलिए अपीलकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने अपील में दिए गए आदेश

दिनांक 09-12-2019 द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को

स्वतंत्रता दी, यदि छह महीने की अवधि के भीतर मुकदमा शुरू नहीं हो सका तो ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक नया आवेदन दायर करें। संयोग से, छह महीने की यह अवधि अब समाप्त हो चुकी है और मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

14. आगे बढ़ने से पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 7.8.2019 को मध्यस्थता ट्रिब्यूनल ने धारा 17 मध्यस्थता अधिनियम के तहत आवेदनों पर आदेश पारित किए (1) टर्मिनेशन नोटिस पर रोक लगाना (2) निर्देश देना कि एएनएल को वीटीपीएमएस परियोजना से उत्पन्न पूरी राशि एस्क्रो खाता में जमा करना और इस प्रकार की गई जमा राशि के विवरण के संबंध में एक मासिक रिपोर्ट दाखिल करना (3) एएनएल को ओवरहेड्स को पूरा करने और परियोजना को चलाने के लिए जमा की गई कुल राशि का 25% निकालने की अनुमति देना (4) राज्य पुलिस कर्मियों को प्रतिनियुक्त करने की अनुमति देना परियोजना स्थल को सुरक्षा पहलुओं की देखरेख के अलावा परियोजना के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में किसी भी हस्तक्षेप के बिना जारी रखना होगा (5) मैरीटाइम बोर्ड को परियोजना के कामकाज की निगरानी और निगरानी के लिए एक सक्षम व्यक्ति को नियुक्त करने की अनुमति देना (6) एएनएल को निर्देश देना कि संयंत्र, मशीनरी और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का निपटान न करें और (7) एएनएल द्वारा माह जुलाई, 2019 के लिए मैरीटाइम बोर्ड को 16,43,44,227/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश देना।

15. मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित उपरोक्त अंतरिम उपायों के परिणामस्वरूप, एएनएल रियायत समझौते के तहत परियोजना का संचालन जारी रखता है और मैरीटाइम बोर्ड के वित्तीय हित उन निर्देशों द्वारा संरक्षित रखता हैं।

16. उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि (1) कि विशुद्ध रूप से सिविल प्रकृति के वाद को आपराधिकता का आवरण दिया गया है (2) कि बोर्ड के आर्थिक हित मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अंतरिम उपायों द्वारा संरक्षित किया जा चुका है (3) कि अपीलकर्ता एक वरिष्ठ नागरिक है जिसे चिकित्सीय जटिलताएं हैं और (4) चूंकि आरोप पत्र दायर किया गया है और मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, इसलिए अपीलकर्ता की निरंतर कैद अनुचित है।

17. जमानत के प्रार्थना का राज्य और मैरीटाइम बोर्ड ने इस आधार पर विरोध किया है कि अन्य बातों के साथ-साथ (1) कि रियायत समझौते का उद्देश्य एंटी-राष्ट्रीय गतिविधियों में शामिल गैर-राज्य जहाजों द्वारा घुसपैठ की निगरानी और पहचान करने के लिए रडार स्टेशनों की स्थापना करना था (2) कि जो कुछ सामने आया है वह सिर्फ एक सिविल वाद नहीं है बल्कि एक बड़ा वित्तीय घोटाला है (3) कि ऐसे घोटाले के पीछे अपीलकर्ता का दिमाग है जिसमें शेल कंपनियों के चक्रव्यूह के माध्यम से धन गबन शामिल है (4) जो कि प्रकरण जिनोफर कावसजी भुजवाला बनाम.

गुजरात राज्य

I वी. रामसुब्रमणियन जे.

इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, जो अब अपीलकर्ता और उसके द्वारा प्रबंधित कंपनियों की गतिविधियों से खतरे में है (5) कि अपीलकर्ता ने पहले ही मैरीटाइम बोर्ड (6) के वरिष्ठ अधिकारियों को उपहार भेजकर गवाहों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है जो उसके अधीन है दबाव के कारण, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्होंने पहले बयान दिया था, मुकर गए (7) कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट जांच अधिकारी तक पहुंचने से पहले ही, अपीलकर्ता ने इसकी सामग्री का ज्ञान प्रदर्शित किया, जिससे उनका प्रभाव और शक्ति दिखाई गई (8) सह अभियुक्त फरार है और (9) चूंकि अभियोजन पक्ष के कई गवाह या तो अपीलकर्ता के पूर्व या वर्तमान कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं, वे असुरक्षित हैं और इसलिए जमानत के लिए अपीलकर्ता के अनुरोध को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

18. हमने दलीलों, दस्तावेजों, प्रस्तुतियों के लिखित नोट्स और इसमें शामिल मुद्दों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।

19. सबसे पहले, हमें यह बताना चाहिए कि उच्च न्यायालय का विवादित आदेश दिनांक 9.12.2019 है। उच्च न्यायालय के आदेश का ऑपरेटिव भाग न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार से समझा जाता है

"उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, मैं वर्तमान आवेदक के पक्ष में विवेक का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। इसलिए, आवेदन खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, आवेदक को संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष नया आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता सुरक्षित है। छह महीने की अवधि के भीतर शुरू नहीं किया गया है"।

20. जाहिर है, छह महीने की वह अवधि जिसके भीतर उच्च न्यायालय को मुकदमा शुरू होने की उम्मीद थी, आज की तारीख में समाप्त हो गई है। अपीलकर्ता, जिसकी उम्र 62 वर्ष है, पहले ही लगभग एक वर्ष न्यायिक हिरासत में बिता चुका है। आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से नौ महीने की अवधि बीत चुकी है. हालांकि विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पहले ही जारी की जा चुकी है, लेकिन तथ्य यह है कि आरोप तय नहीं किए गए हैं और मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

21. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरे के इर्द-गिर्द घूमने वाले तर्क दो कारणों से टिके नहीं रह सकते। पहला कारण यह है कि परियोजना अगस्त-2010 में चालू हुई और पार्टियों के बीच विवाद 2018 में शुरू हुआ और वह भी वित्तीय मामलों को लेकर। दूसरा कारण यह है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए संरक्षण के अंतरिम उपायों के आधार पर (इस न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2020] 5 एस.सी.आर., उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश और एक वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हैं) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 17 के अनुसार, रियायत समझौते की समाप्ति पर रोक लगा दी गई है। इसलिए, जिस कंपनी का अपीलकर्ता प्रमुख है, वह वीटीपीएमएस परियोजना का संचालन जारी रखती है। किसी भी मामले में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने न केवल राज्य के आर्थिक हितों की रक्षा की है, बल्कि राज्य पुलिस को परियोजना स्थल पर रहने की भी अनुमति दी है। ट्रिब्यूनल ने मैरीटाइम बोर्ड को परियोजना के कामकाज की देखरेख और निगरानी के लिए संबंधित परियोजना से परिचित एक सक्षम व्यक्ति को नियुक्त करने की भी अनुमति दी है। इसलिए हम इस विवाद को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं कर सकते.

22. हालाँकि गवाहों से छेड़छाड़ के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह देखा जा सकता है कि अभियोजन मुख्य रूप से दस्तावेजों पर आधारित है। किसी भी मामले में, यदि जमानत पर रिहा हुआ व्यक्ति कुछ गतिविधियों में शामिल होता है, तो अभियोजन उपचारहीन नहीं है।

23. इसलिए, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता जमानत का हकदार है। इसलिए, अपील की अनुमति दी जाती है और अपीलकर्ता को ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, जो सत्र न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे, जिसमें पासपोर्ट के आत्मसमर्पण की शर्त भी शामिल है। जो समय-समय पर ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अधीन होगा। अंकित ज्ञान की अपील स्वीकार की गई।